

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या- 24/2018

बउनवान

ओमप्रकाश आयु 42 साल पुत्र श्री बिरधीलाल जाते-मीणा निवासी-भटवाडा
तहसील-मोंगरोल जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक - 19.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-भटवाडा, तहसील-मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 968 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 208/-रूपये अर्थदण्ड एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत निर्णय किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट के तहसीलदार पर कब्जा नहीं और ना ही उक्त प्रकरण में उसे विधिवत सुनवाई के लिए मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब विधिगत रूप से योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त करमाया जावे।

इस पर सुनवाई के दौरान जर्ये अपील किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं मिला और निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी अपीलांट का कोई अतिकमण नहीं है, उक्त आराजी को कब्जा छोड़ दिया है। केवल उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तहसीलदार को जमा करा दी है। अपीलांट विधेय में उक्त आराजी पर कभी अतिकमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 71/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांत का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा पारित निर्णय को दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 दी गयी सिविल का निर्णय माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी से कब्जा के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, मोंगरोल से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2018

सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

डॉ० रविशंकर (सि)

जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर

Web Copy - Not Official